

कार्यालय जनपद पंचायत, बुरहानपुर

क/2362/सं.शा.शि.-3/नियुक्ति/

बुरहानपुर दिनांक 9.2.2008

-: आदेश :-

मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल दिनांक 01 सितम्बर 2005 में दिये गये नियमों के तहत एवं कार्यालय कलेक्टर बुरहानपुर के आदेश क्रमांक कलेक्टर/सं.शा.शि./06/4178 बुरहानपुर दिनांक 12/05/2006 द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार जनपद पंचायत बुरहानपुर के नियंत्रणाधीन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सविदा शाला शिक्षक वर्ग - 03 के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों का विषयवार सयर्गावार चयन कर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई शैक्षणिक संस्थाओं में रु. 2500/- (अक्षरी दो हजार पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह वेतन निश्चित वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह सविदा नियुक्ति डब्लू पी. 8286/2005, 7826/2006 एवं 7440/2006 में माननीय उच्च न्यायालय बुरहानपुर द्वारा पारित होने वाले आदेशों के अधीन रहेगी।

क्रमांक	चयनित प्रत्याशी का नाम मय पिता/पति	पु./म.	चयनित प्रवर्ग	पदस्थ शाला का नाम
1	2	3	4	5
1	कुमार श्रीमाली	पु.	अ.वि.व.	शाला बुरहानपुर

आवश्यक निर्देश :-

ये नियुक्ति अधिकतम 03 वर्षों के लिये की गई है। प्रत्येक वर्ष में अभ्यर्थी के कार्य व्यवहार आचरण तथा प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर उसे आगामी वर्ष में सविदा वृद्धि प्रदान की जा सकेगी। प्रत्येक 03 वर्ष की कालावधि के पूर्ण होने पर सविदा शाला शिक्षक उस वर्ष के सविदा पारिश्रमिक की तुलना में अपने सविदा पारिश्रमिक में 15 प्रतिशत की वृद्धि का हकदार होगा।

यह नियुक्ति पूर्णतः नियोजनकर्ता एवं अभ्यर्थी के मध्य हुई सविदा शाला के अधीन प्रभावशाली रहेगी। अभ्यर्थी पदाधिक संस्था में दिनांक 15.2.08 / दिन 15.2.08 एवं दिनांक 22.2.08 / दिन 22.2.08 के बीच की अवधि में ही पदाधिक संस्था में पदभार ग्रहण करें। निर्धारित अवधि में पदभार ग्रहण न करने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं का होगा।

संस्था में पदभार ग्रहण करने पर जिले के सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। पदभार ग्रहण करने के पश्चात अभ्यर्थी के धरित्र के सत्यापन की जाँच अभ्यर्थी के मूल जिले निवासस्थ वाले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से करवायी जायेगी, ये प्रतिवृत्त तथा पाये जाने पर अभ्यर्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त नियुक्ति सविदा रद्द कर दी जायेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बुरहानपुर
बुरहानपुर दिनांक : 9.2.2008

पू. क्र/2363/सं.शा.शि.-3/नियुक्ति/
प्रतिलिपि -

1. आयुक्त, इंदौर संभाग, इन्दौर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. आयुक्त लोक शिक्षण मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. कलेक्टर जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
6. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
7. संकुल प्राचार्य - जिला बुरहानपुर शाला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित कर लेख है कि पदभार ग्रहण करने के पूर्व उसके मूल निवासस्थान की जाँच कर लेवे तथा उनकी प्रमाणित फोटोकॉपियों का एक सेट तथा मूल मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्राप्त करे। धरित्र सत्यापन कराये जाने हेतु संबंधी अभ्यर्थी से निर्धारित अनुप्रमाण कार्यों में आवश्यक पूर्ति करवाकर कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन की दो प्रतियों के साथ इस कार्यालय में अनिवार्यतः प्रेषित करे। कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन की शेष प्रतियाँ अन्य कार्यालयों को भी आवश्यक प्रेषित की जावे।
8. प्रधान पाठक - जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. संबंधित अभ्यर्थी क्रमांक 552 के विषय में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

अनुभाग अधिकारी
स्कूल शिक्षा विभाग

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत बुरहानपुर



मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश, कोषाल

५०

मध्यप्रदेश संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 पात्रता परीक्षा 2005

प्रमाण-पत्र सह अंकसूची

0170424

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

रोल नम्बर..... 08303129



प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी SHRIMALI KUNAL

माता का नाम श्रीमती SANDHYA SHRIMALI

पिता/पति का नाम श्री DEEPAK SHRIMALI

मध्यप्रदेश नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 एवं मध्यप्रदेश पंचायत संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तें) नियम, 2005 के अन्तर्गत आयोजित संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 की पात्रता परीक्षा 2005 में सम्मिलित हुए, हैं। इन्होंने पात्रता परीक्षा में कुल 130 (एक सौ तीस) अंकों में से 45.76 अंक (FOUR FIVE POINT SEVEN SIX)

प्राप्त किए हैं। उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के आधार पर इन्हें मध्यप्रदेश के विभिन्न जिला पंचायतों/जनपद पंचायतों/नगरीय निकायों द्वारा संविदा शाला शिक्षक श्रेणी-3 के लिए विज्ञापित रिक्त पदों के निरूद्ध आवेदन प्रस्तुत करने की पात्रता प्राप्त हो गई है। परन्तु इस प्रमाण-पत्र के आधार पर इन्हें किसी प्रकार की नियमित नियोजन प्रक्रिया में व्यवस्थापित अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित की शर्तें अतिरिक्त, जाति, धर्म, आय और अन्य किसी भी प्रकार के अर्थ (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) आदि की पूर्णता पर निर्भर नहीं है।

(Handwritten signature)

अनुभाग अधिकारी
संविदा विभाग